बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक– प्र06–रा0कू0–01/09 1083 /खाद्य,पटना/दिनांक 22/2/2012

ति महत्वपूर्ण

प्रेषक,

के0 सी0 झा,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।

विषय :– बोगस/छद्मनामी/अयोग्य राशन कार्डों को निरस्त करने और निर्गत करने वाले अधिकारियों/व्यक्तियों के विरूद्व कार्रवाई करने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि भारत सरकार, उपभोक्ता मामले एवं खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, नई दिल्ली के पत्रांक– 9/17/2007-PD-II दिनांक 31 जनवरी, 2012 (प्रति संलग्न) द्वारा जुलाई 2006–07 से अद्यतन विहित प्रपत्र में बोगस/छद्मनामी/अयोग्य राशन कार्डों एवं निर्गत करनेवाले ऐसे पदाधिकारियों/व्यक्तियों के विरूद्व कृत कार्रवाई के संबंध में कतिपय सूचनाएँ मांगी गयी हैं । उक्त सूचनाओं को उपलब्ध कराने हेतु पूर्व में विभागीय पत्रांक 8650 दिनांक 17.10.2011 (प्रति संलग्न) एवं स्मार पत्रांक 9514 दिनांक 01.12.2011 (प्रति संलग्न) द्वारा निदेश दिया गया है । परन्तु उक्त निदेशों के बावजूद अभीतक वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराया गया है, जो अत्यंत ही खेदजनक है ।

अतएव वांछित सूचना विहित प्रपत्र में यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय ताकि उससे भारत सरकार को शीघ्रातिशीघ्र अवगत कराया जा सके ।

विश्वासभाजन

सरकार के अपर सचिव ।

BY SPEED POST

Most Immediate
Reminder-XIII

F.No. 9/17/2007-PD II
Government of India
Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution
Department of Food and Public Distribution

Krishi Bhavan, New Delhi - 110 001
Dated the 31st January, 2012

To
The Secretary,
Food, Civil Supplies & Consumer Affair Department,
All State/UT Governments

Subject: Deletion of bogus/ghost/ ineligible ration cards and action against the officials/persons who issued the bogus ration cards.

Sir,

I am directed to refer to the communication of even number dated 08.01.2008 and subsequent reminders including last reminder dated 27.09.2011 on the subject mentioned above wherein it was requested to send the requisite information as per the format given below.

Name of the State/UT .....

Sl. No	Year	Number of staff members who had issued such bogus ration cards	Details of action taken against the staff responsible	Number of persons/ families found possessing bogus ration cards	Details of action taken against such persons/ families
1	2	3	4	5	6
	July 2006-07				
	2007-08				
	2008-09				
	2009-10				
	2010-11				
	2011-12(upto quarter ending Dec, 2011)				

2. It is stated that only few States/UTs has furnished the information. It is further mentioned that the said information is also required in connection with replies to the Parliamentary Standing Committee.

3. All States/UTs are therefore requested to send the information year-wise from July 2006 to December 2011 in the above proforma, to this Department without further delay.

Yours faithfully,

(Sunil Chauhan)
Under Secretary to the Government of India

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक- प्र06-रा0का0-01/09 8680 /खाद्य,पटना/दिनांक 17/10/2011

महत्वपूर्ण

प्रेषक,

शिशिर सिन्हा,
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।

विषय :- W.P. (C) 196/2001 पी0यू0सी0एल0 बनाम भारत सरकार एवं अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14.05.2011 को दिये गये आदेश के कार्यान्वयन के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि W.P. (C) 196/2001 पी0यू0सी0एल0 बनाम भारत सरकार एवं अन्य में दिनांक 14.05.2011 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कतिपय आदेश पारित किये गये हैं । उक्त आदेश के आलोक में पारिवारिक सर्वेक्षण सूची में शामिल सभी बी0पी0एल0 /अन्त्योदय परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराना, बोगस राशन कार्ड अथवा छद्मनामी व्यक्तियों को निर्गत राशन कार्ड को निरस्त कर ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध पूर्व में दिये गये निदेशों के आलोक में आवश्यक कानूनी कार्रवाई करना, केन्द्रीय निगरानी समिति (CVC) द्वारा पूर्व में चिन्हित राज्य के सबसे गरीब 15 जिलों द्वारा पंचायतों की संख्या एवं उनके संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराना एवं भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निदेशों (संबंधित पत्र की प्रति संलग्न) के अनुरूप अगर अतिरिक्त अन्त्योदय परिवारों को अन्त्योदय सूची में शामिल करने की आवश्यकता हो तो उसका आकलन कर प्रतिवेदित करना अपेक्षित है ।

अतएव अनुरोध है कि उपर्युक्त बिन्दुओं पर त्वरित कार्रवाई कर संबंधित प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाय ताकि प्रतिवेदन के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई शीघ्र प्रारंभ की जा सके ।

विश्वासभाजन

प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक- प्र06-रा0का0-01/09 8650 /खाद्य,पटना/दिनांक 17/10/2011

प्रतिलिपि - निदेशक (बी0पी0), भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, नई दिल्ली को उनके पत्रांक 1-7/2-11BP.III दिनांक 12 सितम्बर, 2011 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रधान सचिव ।

D:\Drive_F\Year.-2011\Section._-06\Vividh_Ajit.doc

बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक- प्र06-रा0का0 -01/09 9514 /खाद्य,पटना/दिनांक 01/12/2011

प्रेषक,

अतिमहत्वपूर्ण

के0 सी0 झा,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।

विषय :- W.P.(C)196/2001, पी0यू0सी0एल0 बनाम भारत सरकार एवं अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14.05.2011 को दिये गये आदेश के कार्यान्वय के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय पत्रांक 8650 दिनांक 17.10.2011 द्वारा विषयांकित आदेश एवं विहित प्रपत्र उपलब्ध कराते हुए पारिवारिक सर्वेक्षण सूची में शामिल सभी बी0पी0एल0/अन्त्योदय परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने, बोगस राशन कार्ड अथवा छद्मनामी व्यक्तियों को निर्गत राशन कार्ड को निरस्त कर उसके विरूद्ध कृत कार्रवाई के संबंध में जुलाई, 2006 से माहवार प्रतिवेदन उपलब्ध कराने, CVC द्वारा चिन्हित 15 सबसे गरीब जिलों के पंचायतों की संख्या एवं आवश्यकतानुसार भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप अतिरिक्त अन्त्योदय परिवारों को आकलन कर प्रतिवेदित करने का अनुरोध किया गया था, जो अभीतक अप्राप्त है । विदित हों कि संबंधित प्रतिवेदन को समेकित कर भारत सरकार को भेजा जाना है ।

अतएव अनुरोध है कि वांछित प्रतिवेदन/सूचना विहित प्रपत्र में नियमित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय ।

विश्वासभाजन

1/12/11

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक- प्र06-रा0का0 -01/09 9514 /खाद्य,पटना/दिनांक 01/12/2011

प्रतिलिपि - निदेशक (बी0पी0), भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, नई दिल्ली को उनके पत्रांक 1-7/2-11 BP.III, दिनांक 12 सितम्बर, 2011 के आलोक में प्रेषित ।

1/12/11

सरकार के अपर सचिव ।